



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222658
CG-DL-E-22102020-222658

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3319]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/ आश्विन 30, 1942
No. 3319]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ ASVINA 30, 1942

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3746(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम— पश्चिम बर्धमान

क्र० सं०	पुलिस स्टेशन	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लॉट संख्या	अर्जन क्षेत्र		प्रभावित भाग
				एकड़ में	हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कांकसा	मानिकारा-77 (एल. आर.)	902	0.090	0.0364	दक्षिण भाग
			903	0.075	0.0304	दक्षिण भाग
			930	0.265	0.1072	मध्य भाग
			932	0.055	0.0223	मध्य भाग
			933	0.105	0.0425	मध्य भाग
			935	0.105	0.0425	मध्य भाग
			936	0.190	0.0769	मध्य भाग
			938	0.130	0.0526	मध्य भाग
			939	0.060	0.0243	मध्य भाग
			943	0.050	0.0202	उत्तर भाग
			944	0.005	0.0020	उत्तर कोण
			979	1.085	0.4391	मध्य भाग
			1013	0.055	0.0223	उत्तर भाग
			1014	0.040	0.0162	दक्षिण कोण वर्जित
			1015	0.060	0.0243	दक्षिण भाग
			1016	0.090	0.0364	मध्य भाग
			1019	0.055	0.0223	उत्तर कोण वर्जित
			1020	0.065	0.0263	उत्तर भाग
			1045	0.165	0.0668	मध्य भाग
			1046	0.085	0.0344	दक्षिण भाग
			1047	0.515	0.2084	मध्य भाग
			1049	0.240	0.0971	दक्षिण भाग
			1020 / 2264	0.010	0.0040	उत्तर भाग
			1020 / 2265	0.110	0.0445	उत्तर भाग
2.	फरीदपुर	पुरषा-71 (आर. एस.)	201	0.015	0.006	उत्तर-पूर्व भाग
			202	0.010	0.004	उत्तर-पूर्व भाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			203	0.005	0.002	उत्तर-पूर्व भाग
			204	0.010	0.004	उत्तर-पूर्व भाग
			205	0.010	0.004	उत्तर-पूर्व भाग
			208	0.010	0.004	उत्तर-पूर्व भाग
			209	0.065	0.026	उत्तर-पूर्व भाग
			288	0.105	0.042	उत्तर-पूर्व भाग
3.		सजड़ा-63 (आर. एस.)	1122	0.550	0.223	मध्य भाग
			1123	0.905	0.366	मध्य भाग

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2066]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं.)

MINISTRY OF RAILWAY**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 3746(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Paschim Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the proposed Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal.

Name of District— Paschim Bardhaman

Sl. No.	Police Station	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Affected Portion
				Acre	Hect.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kanksa	Manikara-77 (L. R.)	902	0.090	0.0364	SOUTHERN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			903	0.075	0.0304	SOUTHERN
			930	0.265	0.1072	MIDDLE
			932	0.055	0.0223	MIDDLE
			933	0.105	0.0425	MIDDLE
			935	0.105	0.0425	MIDDLE
			936	0.190	0.0769	MIDDLE
			938	0.130	0.0526	MIDDLE
			939	0.060	0.0243	MIDDLE
			943	0.050	0.0202	NORTHERN
			944	0.005	0.0020	NORTH CORNER
			979	1.085	0.4391	MIDDLE
			1013	0.055	0.0223	NORTHERN
			1014	0.040	0.0162	EXCEPT SOUTH CORNER
			1015	0.060	0.0243	SOUTHERN
			1016	0.090	0.0364	MIDDLE
			1019	0.055	0.0223	EXCEPT NORTH CORNER
			1020	0.065	0.0263	NORTHERN
			1045	0.165	0.0668	MIDDLE
			1046	0.085	0.0344	SOUTHERN
			1047	0.515	0.2084	MIDDLE
			1049	0.240	0.0971	SOUTHERN
			1020/2264	0.010	0.0040	NORTHERN
			1020/2265	0.110	0.0445	NORTHERN
2.	Faridpur	Pursha-71 (R. S.)	201	0.015	0.006	NORTH-EAST PORTION
			202	0.010	0.004	NORTH-EAST PORTION
			203	0.005	0.002	NORTH-EAST PORTION
			204	0.010	0.004	NORTH-EAST PORTION
			205	0.010	0.004	NORTH-EAST PORTION
			208	0.010	0.004	NORTH-EAST PORTION
			209	0.065	0.026	NORTH-EAST PORTION
			288	0.105	0.042	NORTH-EAST PORTION
3.		Sajara-63 (R. S.)	1122	0.550	0.223	MIDDLE
			1123	0.905	0.366	MIDDLE

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2066]

A.K. SINHA, Executive Director (Land & Amenties)